अनुक्रमांक/Roll No.		

M.P. H.J.S. (L.C.E.) - 2018

2nd QUESTION PAPER द्वितीय प्रश्न–पत्र

समय - 3:00 घण्टे Time - 3:00 Hours पूर्णांक — 100 Maximum Marks — 100

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 19

No. of Printed Pages: 19

निर्देश :--

Instructions:-

1. All questions are compulsory. Answers to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

- 2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Any attempt to disclose identity, in any other part thereof, shall disqualify the candidature. उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। किसी प्रकार से किसी अन्य भाग पर कोई भी पहचान चिन्ह या नाम दर्ज करने पर उम्मीदवारी निरर्हित हो जावेगी।
- 3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.

 सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर—पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय है तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

RULES AND ORDERS (CIVIL & CRIMINAL) नियम एवं आदेश (व्यवहार एवं आपराधिक)

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks /अंक
1(a)	Explain with the help of related rules of M.P. Civil Court Rules 1961 what measures have to be taken by the court while issuing commission for local investigation? म.प्र. सिविल न्यायालय नियम 1961 के संबंधित नियमों की सहायता से स्पष्ट करें कि स्थानीय जांच के लिए कमीशन जारी करते समय अदालत को क्या—क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?	4
1(b)	What procedure is to be adopted by the court after preparation the decree under M.P.Civil Court Rules 1961. Explain with relevant rules. म0प्र0 व्यवहार न्यायालय नियम, 1961 के अंतर्गत डिकी तैयार करने के पश्चात् कौन सी प्रक्रिया न्यायालय के द्वारा अपनाई जाना चाहिये ? संबंधित नियम सहित स्पष्ट कीजिए।	4
1(c)	Explain the rules that have been provided regarding framing of issues under rules 144-145 M.P. Civil Court rules 1961? वाद प्रश्नो की विरचना हेतु म.प्र. सिविल न्यायालय नियम 1961 के नियम 144-145 में उपबंधित नियमों को स्पष्ट कीजिये.	4
1(d)	When it is necessary as per rules 176 of M.P. Rules and Orders (Criminal) for the previous conviction to be stated in the charge and how can previous conviction be proved? म.प्र. नियम एवं आदेश (दांडिक) के नियम 176 के अनुसार आरोप में कब पूर्व दोष सिद्धि उल्लेखित किया जाना आवश्यक है और पूर्व दोष सिद्धि कैसे साबित की जा सकती है?	4
1(e)	Explain the provisions relating to verification of solvency of sureties under rules 742-743 of M.P. Rules and Orders (Criminal)? म.प्र. नियम एवं आदेश (दांडिक) के नियम 742-743 में प्रतिभूओं की शोधक्षमता के सत्यापन के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिये ?	4

KNOWLEDGE OF CURRENT LEADING CASES प्रचलित अग्रनिर्णयों का ज्ञान

).No. प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks /अंक
2.	Briefly state the principles of law laid down in the following cases and also point out divergence, if any, from the view as taken in the earlier decisions on the subject. निम्नलिखित प्रकरणों में प्रतिपादित विधि के सिद्धान्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिये और संबंधित विषय पर पूर्ववर्ती निर्णयों में लिये गये विचार से विचलन, यदि कोई हो, तो इंगित कीजिये।	20
(i)	Laxmi v. Union of India (AIR 2015 SC 3662) लक्ष्मी विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया (ए. आई. आर. 2015 — सुप्रीम कोर्ट 3662)	
(ii)	Anvar P.V. Vs. P.K. Basheer and others (AIR 2015 SC 180) अनवर पी.वी. विरुद्ध पी.के. बशीर एवं अन्य (ए.आई.आर. 2015 — सुप्रीम कोर्ट 180)	
(iii)	Mathuramalingam and others Vs. State by Inspector of Police 2016 CrLJ-4165 (SC) मथुरामालिंगम एवं अन्य विरूद्ध राज्य द्वारा इंस्पेक्टर ऑफ पोलिस 2016 CrLJ-4165 (सुप्रीम कोर्ट)	
(iv)	Lalita kumari Vs. Government of UP and others (2014) 2 S.C.C1 लिलता कुमारी विरूद्ध उ.प्र. राज्य एवं अन्य (2014) 2 एस.सी.सी. 1	
).No. प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks /अंक
3.	Summaries (in 150 to 200 words) the facts contained in the following passage – Alternative Dispute Resolution mechanism provides for an additional forum in the dispute resolution mechanism.	10
	A dispute precedes a litigation. A dispute is raised because of ignorance on the part of the disputant. The relationship between the litigants becomes bitter when his ignorance about his right is fuelled by his ego. With a view to resolve the dispute, its source must be traced. The mool mantra of mediation, conciliation is empowerment. The disputant must be empowered which would mean that they must have adequate knowledge as regards existence or extent of their right under a statute or a custom. Once a disputant is empowered by making	

him aware of his right or the extent thereof, the dispute may come to an end.

Mediation should be part of the juvenile criminal justice system. For non-violent offenders, victim-offenders mediation may be applied under the supervision of the criminal justice system caseworkers, which would help both sides to humanize and rehabilitate each other. Mediation may be a part of family counseling. It may also be a part of the civil court system where parties to law suits are aided in settlement negotiations aimed at helping them find their own best interest. It may be a part of the community action. It may be employed in labour dispute seeking to improve any conflict and feelings in the workplace. It is, however, now always alternative to the formal justice system purported to be conducted by "real human beings" rather than lawyers.

The concept of employing alternative dispute resolution has undergone a sea change with the insertion of Section 89 in the Code of Civil Procedure. The parliament intervened having regard to the success stories of its effective implementation in other countries, particularly, in United States of America where the settlement rate rose upto 94%. Initially, there would be resistance to the system both from a section of the Bar and the Bench but a positive change in the outlook is necessary. As a lawyer or a judge each at one time of his life or other play some role in settlement of a few cases and thus, there is no reason as to why at least some of us would not buy the idea.

Conciliation and mediation should now be a regular process in every case which comes to the court as it is now empowered to force the purpose for taking recourse to mediation and conciliation or arbitration as well as to judicial settlement. Legislation however, by itself may not be sufficient. It must be done by motivating others. Settlement at mediation or conciliation, however, must ensure a fair procedure. No party should go back with a feeling that some settlement had been forced upon them although the same may be arrived as a result of reasonable persuasion.

निम्नलिखित गद्यांश में वर्णित तथ्यों को संक्षेप में (150 से 200 शब्दों में) लिखिये –

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र हमें एक अतिरिक्त मंच विवादों के निराकरण के लिए उपलब्ध कराता है।

मुकदमेबाजी के पूर्व एक विवाद विद्यमान होता है। एक विवाद, विवादकर्ता की स्वयं के पक्ष में अज्ञानतावश उत्पन्न होता है। मुकदमबाजों के मध्य आपसी संबंध कटु हो जाते हैं जब उनके अपने अधिकार के प्रति अज्ञानता उनके अहंकाररूपी ईंधन से भर जाती है। विवाद के समाधान की दृष्टि से उसके उद्गम की खोज की जाना अनिवार्य है। मध्यस्थता एवं समझौते का मूलमंत्र सशक्तीकरण होता है। विवादकर्ता को सशक्त होना चाहिये, जिसका तात्पर्य यह है कि उन्हें उनके अधिकार के अस्तित्व या विस्तार, जो कि उन्हें विधि अथवा किसी प्रथा के अंतर्गत प्राप्त है, का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे ही विवादकर्ता को उसके अधिकार या अधिकार के विस्तार के बाबत् सशक्त किया जाता है, विवाद का अंत हो सकता है।

मध्यस्थता को जुवेनाइल आपराधिक न्याय व्यवस्था का अंग होना चाहिए। अहिंसक अपराधीगण के लिए पीड़ित—अपराधी मध्यस्थता का उपयोग आपराधिक न्याय व्यवस्था के केस वरकर्स (सामाजिक कार्यकर्ताओं) की देखरेख में की जा सकती है, जो कि मानवीयकरण एवं पुनर्वास दोनों ही पहलुओं से सहायक होगा। मध्यस्थता परिवार परामर्श का एक अंग हो सकता है। इसके साथ ही मध्यस्थता व्यवहार न्यायालय व्यवस्था का भी एक अंग हो सकता है जहां वादों के पक्षकारों को उनके सर्वोत्तम हितों के समझौते एवं सुलहवार्ता की दृष्टि से मदद की जा सके। यह सामुदायिक किया का भी एक भाग हो सकता है। इसे श्रमिक विवाद में भी लागू किया जा सकता है, जिससे कार्य क्षेत्र में मतभेद एवं भावनाओं में सुधार किया जा सके। यह अब औपचारिक न्याय व्यवस्था का विकल्प है जो कि वास्तविक मनुष्यों के द्वारा संचालित किया जाता है।

वैकल्पिक विवाद समाधान की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन धारा 89 व्यवहार प्रिकिया संहिता के समावेश से हुआ है। इसके अन्य देशों विशेषकर अमेरिका जहां समझौते का प्रतिशत 94 प्रतिशत है, के प्रभावी कियान्वयन की सफलता को देखते हुए संसद के द्वारा इस संबंध में दखल दिया गया। प्रारंभ में बार एवं बेंच के बीच इसे लेकर विरोध होगा परंतु एक सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिकोण में होना आवश्यक है। प्रत्येक अधिवक्ता या न्यायाधीश उनके जीवन के एक समय पर कुछ मामलों में समझौता करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाते हैं। इसके लिए ऐसा कोई कारण

नहीं है कि हम में से कुछ लोग इस विचार को अपना लें।

समझौता एवं मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष आने वाले प्रत्येक मामले में एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिये क्योंकि न्यायालय को न्यायिक समाधान के साथ ही मध्यस्थता एवं समझौता अथवा आर्बिट्रेशन का सहारा लेने के लिए सशक्त किया गया है। यद्यपि इसके लिए कानून केवल अपने आप में पर्याप्त नहीं है, इसके लिए अन्य लोगों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। मध्यस्थता अथवा समझौता के द्वारा विवाद के निराकरण के लिए एक साफ सुथरी प्रक्रिया होना आवश्यक है। कोई भी पक्ष इस भावना के साथ वापस नहीं जाना चाहिये कि कोई समझौता उनके उपर थोपा गया था, यद्यपि ऐसा समझौता युक्तिसंगत प्रयासों के परिणामस्वरूप हुआ हो।

4. SETTLEMENT OF ISSUES

Settle the issues on the basis of the pleadings given hereunder

Pleadings of the plaintiff:-

Plaintiff A is the owner of House No.110 situated at Malviva Nagar, Jabalpur. He purchased this house from his aunt M on 12th April, 2005 through a registered sale-deed for a consideration of Rs.1,50,000/-. At present, he is living as a tenant in M's another house and he has no other house of his own in the town. At the time of purchase, the defendant B was residing on the ground-floor of the house on a monthly rent of Rs.750/-. On 30th July, 2005 he and M gave a notice to the defendant directing him to pay rent to him in view of the sale but the defendant failed to comply with the direction. Ultimately the plaintiff, by his notice dated 14th May, 2006 terminated the tenancy and demanded arrears of rent and also asked the defendant to vacate the accommodation as it was required for his own residence. However, the defendant in his reply dated 20th May, 2006 denied the title of the plaintiff and refused to pay any rent to him saying that the so-called sale-deed is a sham document prepared for the purpose of his eviction. Hence, the suit was filed on 2nd September, 2006 for eviction on the grounds mentioned in Section 12(1)(a)(c) and (e) of the M.P. Accommodation Control Act, 1961 and for recovery of arrears of rent.

Pleading of the defendant:-

The defendant has taken the suit accommodation on rent from

10

M right from the year 1997, M was trying to evict him and therefore, she also filed suits in the year 1997 and 2001, which were dismissed on 20th September 1998 and 06th January 2002. Thereafter, the said sale-deed was brought into existence mala fidely for the purpose of evicting him from the suit accommodation. The plaintiff has been living with M and also managing her property and business. The plaintiff has no need of the suit accommodation. As such, the suit is liable to be dismissed with costs.

निम्नांकित तथ्यों के आधार पर वादप्रश्नों की रचना कीजिये — वादी के अभिवचन :--

वादी "अ" मालवीय नगर, जबलपुर में अवस्थित गृह नंबर 110 का स्वामी है । उसने अपनी चाची "म" से यह गृह 12 अप्रैल 2005 को 1,50,000/— रुपए प्रतिफल के बदले पंजीकृत विक्रय — विलेख के माध्यम से क्रय किया था। वर्तमान में वह "म" के किसी अन्य गृह में बतौर किराएदार निवास कर रहा है और उसके पास शहर में अपना निजी कोई अन्य गृह नहीं है। क्रय के समय प्रतिवादी "ब" उस गृह के भूतल पर 750/— रुपए प्रतिमाह के किराए पर निवास कर रहा था। 30 जुलाई 2005 को उसने एवं "म" ने प्रतिवादी को उसे यह निदेशित करते हुए नोटिस दिया कि वह विक्रय को दृष्टिगत रखते हुए उसे किराया संदाय करे लेकिन प्रतिवादी उस निदेश का पालन नहीं कर पाया। अंततोगत्वा वादी ने दिनांक 14 मई 2006 को अपने नोटिस से किरायेदारी को समाप्त कर दिया और किराए के अवशिस्टों की मांग की और उसने प्रतिवादी को वह जगह रिक्त करने के लिए भी कहा जिसकी उसके निजी निवास हेतु अपेक्षा की गई थी,

तथापि प्रतिवादी ने दिनांक 20 मई 2006 के अपने उत्तर में वादी के हक से इन्कार किया और यह कह कर उसे कोई भी किराया संदाय करने से इंकार कर दियां कि तथाकथित विक्रय—विलेख उसकी बेदखली के प्रयोजनार्थ तैयार किया गया मिथ्या दस्तावेज है। इसलिए मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12(1)(क),(ग), और (ङ) में उल्लिखित आधारों पर वादी ने बेदखली के लिए और किराए के अवशिष्टों की वसूली के लिए 12 सितंबर 2006 को वाद प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी के अभिवचन :-

प्रतिवादी ने वर्ष 1997 से ही "म" से वादग्रस्त स्थान को किराए पर लिया है "म" उसे बेदखल करने का प्रयास कर रहा था और इसलिए उसने वर्ष 1997 एवं 2001 में वाद दाखिल किए थे जिन्हें 20 सितंबर 1998 तथा 6 जनवरी 2002 को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात उस विक्रय विलेख को वादग्रस्त स्थान से उसकी बेदखली के प्रयोजनार्थ दुराशयपूर्ण ढंग से अस्तित्व में लाया गया। वादी "म" के साथ निवास कर रहा है और उसकी संपत्ति एवं व्यवसाय का भी प्रबंध कर रहा है। वादी को वादग्रस्त स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए वाद सव्यय खारिज किए जाने योग्य है।

JUDGMENT WRITING निर्णय लेखन

Q.No. / प्र.क्र.

Question / प्रश्न

Marks /अंक

5

JUDGMENT WRITING

30

Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts:-

Plaintiff's Pleadings :-

According to the plaintiff, defendant is his brother, and both are doing goldsmith business in the name of Shrirangarika Dye Cutters, at the house no. 67 Chandni Chowk, Ratlam. The house No. 67 situated in Chandni Chowk was purchased by plaintiffs, defendant and their wives Nirmala, Brijbala and their parents through various sale deeds from its owner of Inavat Ali and Mamunabi. Nirmala and Brijbala purchased open land area of house number 67 through sale deeds dated 31.12.82 and the payment of Rs 16,000 was made by Nirmala and Brijbala. The plaintiff and the defendant purchased the other part of the building from Mammonabi for Rs 47,000/- on 31.12.82. The plaintiff and the defendant, again jointly bought another part of that house on 31.12.82 for Rs 16,000/-. The other part of the said building was purchased by their father Banshilal on 28.1.83 for Rs 16,000 /- and their mother, Basantibai had purchased a portion of the said building from Kalimuddin on 28.1.83 for Rs. 20,000/-. Plaintiff, defendant, their wives and parents had jointly filed a suit to evict the tenant Maniklal Hingde residing in purchased House No. 67. The plaintiff and the respondent had obtained the permission from the municipal corporation to construct the building on 10.08.98, and construction was done. The plaintiffs and the defendants used to stay in different rented house, before purchasing the said building and receiving vacant possession. Newly constructed building is not being enough, defendant is staying in a rented house with his family. The plaintiff and the respondent are doing joint business in the name of Shrirangarika Dye Cutters. The defendant has opened a shop

in the name of Shringranika Jewelers on the front portion of the house, without permission of the plaintiff. The plaintiff made an oral plea to the respondent for partition of the house, but the defendant kept on avoiding. Then plaintiff through his advocate, send a registered letter on 18.8.2005, whose false answer was given by the defendant. Defendant had accepted the title and possession of the plaintiff in the house, but refused to divide it. After giving notice, the defendant and his son stopped the plaintiff from doing business of Shringarika Dye Cutters and has not given its account as well. If a reasonable division of the disputed house is not feasible, then he agrees to divide it in another way, although the plaintiff want half portion of the shop in which he and defendant were doing business in the name of Shringarika Dye Cutters. Cause of action starts from the date 18.8.05 on which notice was issued to the defendant and continued thereafter. The value of suit house is Rs 10 lakh, on its half value i.e. Rs. 5 lacs, court fees is being paid Therefore, the house described by A, B, C, D, in the plaint map, should be divided between him and the defendant, if the physical division is not possible, then division should be done according to the provisions of the Partition Act. The defendant is using the entire house, therefore, an annual compensation of Rs 25,000 should be given till he gets the vacant possession of his share in the house. The family settlement and wills made by Mother Basantibai are completely false, Basantibai did not have the right to execute the will.

Defendant's Pleadings:-

The defendant has denied the plaintiff's plea. Has expressed that the plaintiff and respondent did not do business in the name of Singarika Dye Cutter, that business belongs to his father Banshilal, after his death the defendant used to do the said business with his son Ashish. The said business was reduced due to change, so his son has launched a new business under the name of Shringarika Jewelers. The name of Shrangarika Dye Cutters was in the record only, the defendant has proceeded to get the license canceled in the municipality and the said

business has closed. No house was purchased by the wives plaintiff and the defendant on 31.12.82, only the sale deeds was made in the name of the family members and whole considerations were paid by their father, out of the income of family business. The family members including plaintiff and his wife did not give any consideration, only their name were written in the sale deed. Family members did not had any separate income. Father Banshilal was the Karta of the joint family, he used to do business and support the family. The eviction suit, against tenant was filed by the defendant alone and power of attorney was given in his name and he had obtained empty possession of the house. After acquiring the vacant possession, a new house was made by the defendant, without taking any monetary help from the plaintiff. The plaintiff was not ready to live in the newly constructed house, as he was living in rented house at Tata Town house separately. Application for permission to build the building was given in the name of all the members as it belong to the family. Plaintiff's wife was of extreme quarrelsome nature, did not respect the family members, used to quarrel. Therefore, during his life time Bansilal had made family arrangements and plaintiff was separated from the family. The plaintiff had never done joint business in name of Singarika Dye Cutters. The defendant and his family were doing business with the father. Neither the plaintiff has made oral request for partition, nor the defendant has given assurances. Both have no relation for many years. The plaintiff has no cause of action. The proper valuation has not been done by the plaintiff. The value of the disputed location is 50,000/- per square feet, so the valuation should have been according to the market value and court fees should have been paid according to market value. There is a dispute about the partition of the family property, but not all the members of the family have been made a party. So suit is not maintainable. In lieu of the share of the property belonging to the Joint Family, plaintiff has taken his share which includes jewelery, house, land, plots in Gopal Goshala Colony and open land of house No. 66 of Chandni Chowk which he has sold and received consideration himself. He has falsely filed the suit. The

plaintiff had abdicated his right to disputed house during the lifetime of Bansi Lal. His suit is barred by limitation. Therefore, his suit should be dismissed.

Plaintiff's Evidence :-

In support, the plaintiff has submitted the mutation order of municipal corporation and its order sheet, property tax documents, application for permission of building construction, construction permission, copy of assessment register and shop cash memo in the name of Ramesh Kumar Banshilal Soni.

Plaintiff witness no. 1 Vijay Kumar is the brother-in-law of plaintiff. He stated that the plaintiff and defendant used to do business in the disputed house in the name of Shringarika Dye Cutters. The house was purchased and built jointly by Ramesh, Nand Kishore and their wife Nirmala and Brijbala. The plaintiff has not been given share in the house, although he demanded for his share. He stated that dye-cutting work is now not in circulation. He accepted that there was no discussion for partition between the plaintiff and the defendant in front of him. Plaintiff 2 Ramesh Soni stated that he and respondent used to jointly do business. The defendant has stopped him from working in the shop, he has not given the account. He has admitted that the two brothers had good relation, so the sale deed was jointly executed. It has also been said that he, his father, brother used to work in the same shop, the license of the shop was in the name of the defendant. His wife also made jewelry in the house, but has not presented any evidence of it. He has accepted that he had purchased a plot in Gopal Gaushala Colony in his name and a plot in the Housing Board Colony in the name of wife, but he has not given any details of his and his personal income at that time nor presented the bank statement. He denied that his father, Banshilal had purchased both the plot in his and his wife name and had given him the money to build the house, when he had separated from the family. He has also acknowledged that the houses purchased by all the registries had been broken down into a single unit. He has accepted that while building was being made, he and his wife did not object that their houses should be made separately.

Defendant's Evidence:-

The defendant has presented the bills of purchase of building material and will deed made by Basanti Bai, in which he had given all her movable immovable property to his grandson Ashish Kumar. Basanti Bai's death certificate dated 06.03.10 was also filed. In addition to this, the plot allotment document in the name of plaintiff given by Shiv Shakti Ghar Nirman Samiti also filed.

Defendant witness-1 Nand Kishore's statement is that his father, Banshilal, was doing business in the name of Sherangarika Dye Cutters, after his death, he and his son used to do that business, but said business was closed due to lack of circulation. In 2001, his son started the Jeweler shop in the name of Singarika Jewelers. The disputed house was purchased through several sale deeds, and his father gave all the sale consideration of all sale deeds from the business of the joint family. The plaintiff and his wife had no separate business. The plaintiff was living in the separate rented house in Tata Nagar before the possession of the disputed house was obtained from the tenant. The plaintiff, having been separated from the joint family, received his share from father Banshilal in exchange for the disputed house. The disputed house has been constructed by the defendant from its own income and entire house remains in his possession. Basanti Bai has made a will in favor of his son Ashish.

Defendant witness-2 Ashish is the son of the defendant, he also stated that the disputed house has been constructed by the defendant from his own income. The plaintiff is separated with his share of the joint family and has got a plot in Gopal Gaushala Colony and open land of house number 66 which he has sold.

Defendant witness-3 Pradeep Goud's statement is that the disputed house was built on the contract by his father and the defendant Nand Kishore had constructed the house from his income. Although no written contract has been filed.

Defendant witness-4 Rajendra Pitlia's statement is that the disputed house is in his neighborhood in which the defendant resides. The plaintiff had separated from the family in the lifetime of his father, Bansi Lal, and in lieu of his share, he was given a plot in Shiv Shankar Grah Nirman Samiti, whose president was he, and money was given by respondent Nand Kishore, and the registry of plot was executed by him. He has accepted that there has been no written document of partition, oral discussion has been heard, which happened two years before the death of Bansiklal.

Defendant witness-5 Krishna Devi is the sister of both plaintiff and defendant. She also stated that her father, Banshilal, had separated the plaintiff from the family and given a plot and a house to the plaintiff from his income. The Defendant has no right in the disputed house, after the partition, the plaintiff had given up his right. She also stated that Ramesh was not doing any separate business since 1977-78. She denied that plaintiff has purchased the said plot and house from his separate income. Even before the disputed house was built, the plaintiff had separated from the family and father gave him house, plots and jewelery.

Defendant witness-6 Arvind Gupta stated that Basanti Bai had executed on 24.03.05 a will in favor of the defendant's son Ashish Soni.

Arguments of Plaintiff:-

The plaintiff has argued that since 1977-78, he used to do business separately from the family and had the means of his separate income, from that he has paid the sale consideration in respect of the disputed house with the name of himself and his wife. From his separate income, he had bought plots and house for himself and wife. The permission given for the construction of the disputed house by the municipal corporation are also in the name of all the persons whose name appeared in the sale deeds. Therefore, in joint family property he has right to get partition done and get possession of his share in the house.

Arguments of Defendant:

It has been argued by the defendant that the plaintiff has not proved that he and his wife had a means of separate income and he was doing business jointly with the defendant. The plaintiff was living in a separate house since 1990. The full consideration in respect of the all the sale deeds in relation to the disputed house was given by his father from the income of the joint family. Although the plaintiff did not give in writing that he had separated from the family after taking his share, but he gave oral assurance only.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये —

वादी के अभिवचन :-

वादी के अनुसार वह तथा प्रतिवादी सगे भाई हैं, और दोनों श्रगारिका डाय कटर्स के नाम से डाय कटिगं का सुनारी व्यवसाय मकान नबंर 67 चांदनी चौक में करते हैं। चांदनी चौक स्थित मकान नबंर 67 इनायत अली तथा मेमूनाबी के स्वत्व का था, जिसे विभिन्न विक्रयपत्रों के माध्यम से वादी, प्रतिवादी तथा दोनों की पत्नीयों निर्मला, बुजबाला तथा उनके माता पिता ने क्रय किया था। निर्मला तथा बुजबाला ने विक्रयपत्र दिनांक 31.12.82 के माध्यम से मकान क्रमांक 67 का एक भाग क्रय किया गया था तथा 16,000/- रू प्रतिफल की अदायगी निर्मला तथा बृजबाला के द्वारा किया गया था। वादी तथा प्रतिवादी ने भी 31.12.82 को ही 47.000 / - रू में मेमूनाबी से भवन के अन्य भाग को क्य किया था। वादी, प्रतिवादी ने इसी मकान का एक अन्य भाग 31.12.82 को 16,000/- रू में संयुक्त रूप से क्य किया गया था। उक्त भवन के अन्य भाग को वादी, प्रतिवादी के पिता बंशीलाल द्वारा 28.1.83 को 16,000 / - रू में क्रय किया गया था। वादी, प्रतिवादी की मां बसन्तीबाई ने उक्त भवन के एक भाग को 20,000 /- रू में कलीमउददीन से 28.1.83 को क्य किया था। विभिन्न विक्यपत्रों के माध्यम से क्य किये गये भवन कुमांक 67 में किरायेदार माणिकलाल हिंगड को निष्कासित करने का वाद वादी, प्रतिवादी, उनकी पत्नीयों तथा उनके माता पिता ने मिलकर प्रस्तुत किया था। वादी तथा प्रतिवादी ने नगरपालिक निगम से भवन निर्माण की अनुज्ञा दिनांक 10.8. 98 को प्राप्त किया था और नवनिर्माण किया गया था। वादी तथा प्रतिवादी उक्त भवन क्रय करने और रिक्त आधिपत्य प्राप्त होने के पूर्व तक टाटा नगर में किरायेदार के रूप में रहते थे। नवनिर्मित भवन पर्याप्त नहीं होने से प्रतिवादी अपने परिवार के साथ नवनिर्मित भवन में रह रहा है और वादी पृथक किराये के भवन में रह रहा है। वादी एवं प्रतिवादी सयुंक्त रूप से श्रृगांरिका डाय कटर्स के नाम से व्यवसाय कर रहे हैं, यद्यपि प्रतिवादी ने ओटले पर बिना वादी की अनुमति से श्रृगांरिका ज्वेलर्स के नाम से दुकान लगा रखी है। वादी ने प्रतिवादी से बटवारे के लिये मौखिक निवेदन किया, परंतु प्रतिवादी टालमटोल करता रहा, तब अपने

अधिवक्ता के माध्यम से 18.8.2005 को रजिस्टर्ड सूचनापत्र जारी कराया था, जिसका असत्य उत्तर प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी ने वादी के स्वत्व तथा आधिपत्य को स्वीकार किया था, परन्तू विभाजन करने से इन्कार कर दिया था। नोटिस देने के बाद प्रतिवादी तथा उसके पुत्र ने श्रुगांरिका डाय कटर्स का व्यवसाय करने से वादी को रोक दिया और उसका हिसाब भी प्रतिवादी ने नहीं दिया है। यदि विवादित मकान का युक्तियुक्त विभाजन संभव नहीं है तब अन्य रीति से विभाजन हेतू वह सहमत है, यद्यपि वादी तथा प्रतिवादी, श्रृंगारिका डाय कटर्स के नाम से जिस द्कान में सयुंक्त व्यवसाय करते आ रहे थे उसका आधा हिस्सा वादी को चाहिए। विभाजन करने से इन्कार करने पर वादी ने 18.8.05 को अधिवक्ता से नोटिस जारी कराया था। सपंत्ति का वर्तमान मूल्य दस लाख रू है जिसके आधे स्वत्व के अनुसार मूल्यांकन पांच लाख रू के आधार पर न्याय शूल्क अदा किया जा रहा है। अतः मानचित्र में ए, बी, सी, डी से वर्णित भाग का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन कराकर उसे अपने भाग का आधिपत्य दिलाया जाए, भौतिक विभाजन संभव न हो तो पार्टीशन एक्ट के प्रावधान के अनुसार विभाजन किया जाए। प्रतिवादी संपूर्ण मकान का उपयोग कर रहा है, अतः रिक्त आधिपत्य प्राप्त होने तक 25,000 / - रू वार्षिक क्षतिपूर्ति दिलाया जावे। मां बसन्तीबाई के द्वारा जो पारिवारिक व्यवस्था तथा वसीयत का उल्लेख किया गया है वह पूर्णतया बनावटी है, बसन्तीबाई को वसीयत करने का अधिकार नहीं था ।

प्रतिवादी के अभिवचन :-

प्रतिवादी ने वादी के वाद का खंडन किया है। उसने व्यक्त किया है कि श्रृंगारिका डाय कटर्स के नाम से वादी तथा प्रतिवादी व्यवसाय नहीं करते थे, उक्त व्यवसाय उनके पिता बंशीलाल का था, उनके देहान्त उपरान्त प्रतिवादी अपने पुत्र आशीष के साथ उक्त व्यवसाय करता था। उक्त व्यवसाय, परिवर्तन के कारण समाप्त सा हो गया था, इसलिये प्रतिवादी के लड़के आशीष ने श्रुगारिका ज्वलेर्स के नाम से नया व्यवसाय आरभं किया गया है। श्रृगांरिका डाय कटर्स का नाम मात्र रेकार्ड में था, प्रतिवादी ने इसका लायसन्स निरस्त करने की कार्यवाही नगर पालिका में कर दिया है और उक्त व्यवसाय समाप्त हो गया है । 31.12.82 को वादी तथा प्रतिवादी की पत्नी के द्वारा कोई मकान कय नहीं किया गया था, बल्कि वादी, प्रतिवादी के पिता बंशीलाल द्वारा सयुंक्त परिवार के व्यवसाय की आय से सयुंक्त परिवार के सदस्यों के नाम से रजिस्ट्रीयां कराई गई थी, सभी रजिस्ट्रियों का प्रतिफल बंशीलाल के द्वारा दिया गया था, पारिवारिक सदस्यों ने पृथक पृथक कोई प्रतिफल नहीं दिया था, इसी प्रकार वादी के द्वारा भी कोई प्रतिफल नहीं दिया गया है, मात्र उसका रजिस्टर्ड विक्यपत्र में नाम लिखा हुआ है । परिवार के सदस्यों की पृथक से कोई आय नहीं थी, पिता बंशीलाल ही परिवार के कर्ता थे, वे ही व्यवसाय कर परिवार का पालन करते थे। निष्कासन का वाद अकेले प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तूत किया गया था और उसके नाम से मुख्तयारनामा दिया गया था और प्रतिवादी ने ही रिक्त आधिपत्य प्राप्त किया था। रिक्त आधिपत्य प्राप्त होने के बाद प्रतिवादी द्वारा नवीन निर्माण कराया गया है, जिसमें वादी के द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया गया था, वादी भवन में रहने के लिये भी तैयार नहीं हुआ था, इसके पूर्व से वह टाटा नगर

के मकान में रहता था । भवन निर्माण की अनुमति के लिये आवेदन, संयुक्त परिवार की सपंत्ति होने के कारण सभी सदस्यों के नाम से दिया गया था । वादी की पत्नी उग्र स्वभाव की थी, परिवार के सदस्यों के प्रति सम्मान नहीं था, विवाद करती थी, इसलिये बंशीलाल के द्वारा जीवित अवस्था में पारिवारिक व्यवस्था कर वादी को परिवार से अलग कर दिया था, शेष परिवार संयुक्त रूप से मकान में रहता था । वादी ने कभी संयुक्त रूप से श्रृंगारिका डाय कटर्स का व्यवसाय नहीं किया था, प्रतिवादी और उसका परिवार ही पिता के साथ व्यवसाय करता था । वादी ने कभी भी मौखिक बटवारे का कोई निवेदन नहीं किया, न ही प्रतिवादी ने आश्वासन दिया। दोनों के मध्य वर्षों से कोई रिश्ता नहीं है । वादी को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है । वादी के द्वारा उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है । विवादित स्थान का मूल्य 50,000 / – रू प्रति वर्ग फिट है अतः उक्त अनुसार मूल्यांकन कर न्याय शुल्क अदा करना चाहिए था । सयुंक्त परिवार की सपंत्ति के बटवारे का वाद प्रस्तृत किया गया है, परंतू परिवार के सभी सदस्यों को पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिये वाद प्रचलन योग्य नहीं है । वादी संयुक्त परिवार की संपत्ति में से अपना हिस्सा, जिसमें जेवरात,मकान,जमीन सम्मिलित है, के एवज में गोपाल गोशाला कालोनी में प्लाट तथा चांदनी चौक स्थित मकान नबंर 66 की खुली भूमि का अपने नाम से रजिस्टी करवाया है और मकान नंबर 66 का विक्रयफल प्राप्त कर पृथक हो गया है, उसने लोभवश वाद प्रस्तुत किया है। वादी ने बंशीलाल के जीवनकाल में ही विवादित संपत्ति से अपना हक, अधिकार छोड़ दिया था अब इतने वर्षो बाद उसका वाद अवधि बाधित है । इस कारण वाद निरस्त किया जावे ।

वादी की साक्ष्य :-

वादी ने अपने समर्थन में नगर पालिका निगम के नामांतरण आदेश, संपत्तिकर निर्धारण दस्तावेज, भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन, निर्माण अनुज्ञा, असेसमेंट रजिस्टर की प्रतिलिपि तथा रमेश कुमार बंशीलाल सोनी के नाम की केश मेमो प्रस्तुत किया है।

वादी साक्षी कं. 1 विजय कुमार सोनी वादी का साला है, इसका कथन है कि वादी प्रतिवादी विवादित मकान में श्रृंगारिका डाय कटर्स के नाम से व्यवसाय करते थे, मकान को संयुक्त रूप से क्य कर निर्माण कराया गया था। बंटवारा मांगने पर वादी को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। साक्षी का कथन है कि अब डाय कटिंग का काम कम होता है। उसने स्वीकार किया है कि उसके सामने वादी, प्रतिवादी के मध्य बंटवारे की बातचीत नहीं हुई है।

वादी साक्षी छं. 2 रमेश सोनी का कथन है कि वह तथा प्रतिवादी संयुक्त रूप से व्यवसाय करते थे। प्रतिवादी ने उसे दुकान में कार्य करने से रोक दिया है, हिसाब नहीं दिया है। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि दोनों भाइयों में प्रेम था इसलिए संयुक्त रूप से रजिस्टी कराई गई है। यह भी कथन किया है कि वह, उसका पिता, भाई एक ही दुकान में कार्य करते थे, दुकान का लायसेंस प्रतिवादी के नाम से था। साक्षी का कथन है कि उसकी पत्नी भी घर में बैठकर गहने बनाती थी, परन्तु इसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। इसने स्वीकार किया है कि उसने

गौपाल गौशाला कालोनी में एक प्लाट अपने नाम से तथा हाउसिंग बोर्ड कालोनी में तथा एक प्लाट पत्नी के नाम से खरीदा था। साक्षी ने उस समय की अपनी तथा पत्नी की व्यक्तिगत आय का कोई विवरण नहीं दिया है और न ही बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया है। इस सुझाव का खंडन किया है कि उसके पिता बंशीलाल ने दोनों प्लाट उसके नाम कय किया था और मकान बनाने का पैसा भी उन्होंने दिया था, जिन्हें लेकर परिवार से अलग हो गया था। यह भी स्वीकार किया है कि सभी रिजिस्टियों के द्वारा कय किये गये मकान को तोडकर एक ही मकान बनाया गया है, मकान बनाते समय वादी और उसकी पत्नी ने आपत्ति नहीं किया था कि उनका पृथक से मकान बनाया जावें।

प्रतिवादी की साक्ष्य :-

प्रतिवादी के द्वारा भवन निर्माण की सामग्री क्रय करने के बिल, मां बसंती बाई द्वारा लिखा गया वसीयतनामा, जिसमें उसने चल अचल संपत्ति अपने पौत्र आशीष कुमार को दिया था प्रस्तुत किया है। बसंती बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र 06. 03.10 प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त शिव शक्ति गृह निर्माण समिति द्वारा वादी को आवंटित किया गया प्लाट का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी साक्षी छं. 1 नंदिकशोर का कथन है कि उसके पिता बंशीलाल शृंगारिका डाय कटर्स के नाम व्यवसाय करते थे, उनकी मृत्यु के बाद वह तथा उसका पुत्र व्यवसाय करते थे, उक्त व्यावसाय प्रचलन में नहीं रहने के कारण बंद कर दिया है और 2001 में उसके पुत्र ने शृंगारिका ज्वैलर्स के नाम से व्यवसाय शुरू किया है। विवादित मकान कई विकय पत्रों के माध्यम से क्य किया गया था उनका सभी का प्रतिफल पिता ने संयुक्त परिवार की आय से दिया था। वादी और उसकी पत्नी का कोई पृथक व्यवसाय नहीं था। वादी, विवादित मकान का किरायेदार से कब्जा प्राप्त करने के पूर्व से ही पृथक टाटा नगर के मकान में रह रहा था। वादी ने संयुक्त परिवार से बटवारा कर पिता बंशीलाल से विवादित मकान के बदले अन्य संपत्तियां प्राप्त किया था। विवादित मकान को प्रतिवादी ने अपनी आय से निर्माण किया है और संपूर्ण मकान में वही रहता है। बसंती बाई ने उसके पुत्र आशीष के पक्ष में वसीयत किया है।

प्रतिवादी साक्षी कं. 2 आशीष, प्रतिवादी का पुत्र है, इसका भी कथन है कि विवादित मकान निर्माण प्रतिवादी ने अपनी आय से किया है। वादी संयुक्त परिवार से अपना हिस्सा लेकर पृथक हो गया है और गोपाल गौशाला कालोनी में प्लाट प्राप्त किया है और संयुक्त परिवार की संपत्ति भवन कमांक 66 की खुली भूमि को विकय कर उसका प्रतिफल प्राप्त किया है।

प्रतिवादी साक्षी कृं. 3 प्रदीप गौड का कथन है कि विवादित मकान उसके पिता ने ठेके पर बनवाया था और प्रतिवादी नंदिकशोर ने अपनी आय से निर्माण कराया था। यद्यपि ठेकेदारी का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी साक्षी छं. 4 राजेन्द्र पितिलया का कथन है कि विवादित मकान उसके पडोस में है जिसमें प्रतिवादी निवास करता है। वादी अपने पिता बंशीलाल के जीवनकाल में ही परिवार से अलग हो गया था और उसके हिस्से के एवज में उसे शिव शंकर गृह निर्माण सिमिति से प्लाट दिलाया गया था जिसका वह अध्यक्ष था, जिसका पैसा प्रतिवादी नंदिकशोर ने दिया था, रिजस्ट्री उसके द्वारा ही किया गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि बंटवारे का कोई लेख नहीं देखा है, मौखिक चर्चा सुनी है जो कि बंशीलाल की मृत्यु के दो वर्ष पहले हुई थी। प्रतिवादी साक्षी छं. 5 कृष्णा देवी वादी, प्रतिवादी की बहन है, इसका भी कथन है कि उसके पिता बंशीलाल ने परिवार की आय से वादी को एक प्लाट और मकान देकर अलग कर दिया था। विवादित मकान में प्रतिवादी का कोई अधिकार नहीं है, बंटवारे के बाद वादी ने अपना अधिकार त्याग दिया था। साक्षी का कथन है कि रमेश 1977—78 से पृथक व्यवसाय नहीं कर रहा है। विवादित मकान का प्लाट वादी ने अपनी आय से क्य नहीं किया था। विवादित मकान बनने से पहले ही वादी ने बंटवारा करा लिया था तब पिता वादी को मकान प्लाट तथा जेवरात दिये थे।

प्रतिवादी साक्षी कं 6 अरविन्द गुप्ता का कथन है कि बसंती बाई ने 24.03.05 को वसीयत प्रतिवादी के पुत्र आशीष सोनी के पक्ष में किया था।

तर्क वादी :--

वादी की ओर से तर्क किया गया है कि वह 1977—78 से ही परिवार से पृथक व्यवसाय करता था और उसकी पृथक आय का साधन था उसी से उसने अपने और अपनी पत्नी के नाम से विवादित मकान के अंश भाग के विक्य पत्रों के संबंध में प्रतिफल दिया था और पृथक से अपने तथा अपनी पत्नी लिये प्लाट और मकान क्य किया था। नगर निगम से मकान निर्माण की जो अनुमित मिला है वह भी संयुक्त नाम से है। अतः मकान संयुक्त होने के कारण बंटवारा कराकर आधिपत्य दिलाया जाय।

तर्क प्रतिवादी :--

प्रतिवादी की ओर से यह तर्क किया गया है कि वादी ने यह सिद्ध नहीं किया है कि उसकी पृथक आय का साधन था तथा वह प्रतिवादी के साथ संयुक्त रूप से व्यवसाय करता था। वादी 1990 से ही पृथक मकान में रह रहा था। विवादित मकान के संबंध में जितने विक्य पत्र थे उनके संबंध में पूर्ण प्रतिफल उसके पिता ने संयुक्त परिवार की आय से दिया था। यद्यपि वादी ने लिखित में नहीं दिया था कि वह अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया है, मात्र मौखिक आश्वासन दिया था।

ORDER WRITING आदेश लेखन

ORDER WRITING

10

Write Order on the basis of facts given below:-

6.

Case under sections 302, 324 read with section 34 of Indian Penal Code was pending against the accused. The prosecution examined it's witnesses. Thereafter accused applied under section 311 of the criminal procedure code 1973 for recalling of prosecution witnesses Anantram and Raghubir for their further cross examination on the ground that they are relatives of deceased and they have pressurized by the Police to give false statements claiming to be an eye witnesses, however, they were not present at the time of incident. Thus, they are not the eye witnesses and under these circumstances they have filed affidavits that they were not on the spot and under the pressure of the Police they have given statements. In view of this they should have been recalled for cross- examination. The prosecution in reply has objected that both the witnesses in their evidence stated to have seen the incident. That the defence has properly cross examined the prosecution witness, therefore application is liable to be set aside.

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आदेश लिखिए :-

अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 324 सहपिठत धारा 34 के अधीन प्रकरण विचाराधीन था। अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षियों का परीक्षण किया गया। इसके बाद अभियुक्त ने अभियोजन साक्षी गण अनन्तराम एवं रघुवीर को अग्रिम प्रतिपरीक्षण हेतु पुनः आहुत करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 311 के अधीन आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वे मृतक के रिश्तेदार हैं और उन्हें चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए पुलिस द्वारा दबाव दिया गया था, जबिक वे घटना के समय मौका पर उपस्थित नहीं थे, इसलिए वे घटना के साक्षी नहीं हैं और इन परिस्थितियों में उन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि वे मौका पर नहीं थे और उन्होंने पुलिस के दबाव में साक्ष्य दिया है। ऐसी स्थिति में साक्षीगण को प्रतिपरीक्षण के लिए पुनः आहुत किया जाना चाहिए। अभियोजन की ओर से अपने जवाब में आपित्त की गई कि दोनों साक्षीगण ने अपने अभिसाक्ष्य में घटना को देखना अभिकथित किया है। बचाव पक्ष की ओर से साक्षीगण का समुचित प्रतिपरीक्षण किया जा चुका है, इसलिए आवेदन पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

